राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकः–प.1(क)( )कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./24/99 दिनांकः–22/01/24

परिपत्र

विषयः–विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के विरुद्ध माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका में स्वयं के स्तर से कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

विभाग के ध्यान में आया है कि राज्य की नगरीय निकायों में कार्यरत राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों यथा स्थानान्तरण/निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका में स्वयं के स्तर से कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है, जो कि उचित एवं नियमानुकूल नहीं है। उक्त प्रक्रिया से विभाग को मा0 न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश/निर्देशों की जानकारी नहीं होती है एवं सूचना में विसंगति रहती है।

अतः राज्य की नगरीय निकायों में कार्यरत राजस्थान नगर पालिका सेवा के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों यथा स्थानान्तरण/निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका में स्वयं के स्तर से कार्यभार ग्रहण नहीं किया जावे, अपितु इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जाकर सक्षम स्तर से जारी निर्देश/मार्गदर्शन के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जावेगी।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :प.1(क)( )कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/24/ दिनांक : 22/01/24

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– 100 - 610

1. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
2. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
5. सुरक्षित पत्रावली

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक

232

Letter 2024